प्रेस नोट थाना रोजा

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस

112 आपात सेवाएं

सराहनीय कार्य दिनांक- 06.01.2026

थाना रोजा पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य

थाना रोजा पुलिस की त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही: ई-रिक्शा से टक्कर व मारपीट की घटना का सफल अनावरण, मु0अ0सं0 09/2026 में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहांपुर के कुशल निर्देशन में श्री देवेन्द्र कुमार अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं श्री प्रयांक जैन, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल पर्यवेक्षण में एवं प्रभारी निरीक्षक रोजा के नेतृत्व में अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान एवं अपराध में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी के क्रम में आज दिनांक 06.01.2026 को थाना रोजा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

संक्षिप्त विवरण:-

वादी मुकदमा **श्री अंकित अवस्थी पुत्र कैलाश अवस्थी**, निवासी मोहल्ला **नई वस्ती रेती**, थाना **रामचन्द्र मिशन**, जनपद **शाहजहाँपुर** द्वारा थाना स्थानीय पर एक लिखित तहरीर दी गई, जिसमें आरोप अंकित किया गया कि एक ई-रिक्शा चालक द्वारा अपने ई-रिक्शा को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए वादी की मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी गई, जिससे वादी की मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हो गई। विरोध करने पर अभियुक्तों द्वारा वादी की चोटी खींचकर जान से मारने की नीयत से लात-घूंसों एवं डण्डों से मारपीट की गई। उक्त तहरीर के आधार पर दिनांक **05.01.2026** को थाना रोजा पर **मु0अ0सं0 09/2026**, धारा **109(1), 115(2), 191(2), 281, 324(2) बीएनएस** बनाम 1. **अज्ञात ई-रिक्शा चालक (नाम-पता अज्ञात)** 2. **कामरान उर्फ खचड़ा पुत्र अनीश नेता**, 3. **शाहरुख होटल वाला**, 4. **चन्दू नाई**, 5. **इमरान**, **20–22 अज्ञात व्यक्ति**, सर्व निवासीगण मोहल्ला **लोधीपुर**, थाना **रोजा**, जनपद **शाहजहाँपुर** के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए **श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर** के निर्देशन में थाना रोजा पुलिस की टीमें गठित की गईं। पुलिस टीमों द्वारा भिन्न-भिन्न स्थानों पर दबिश देकर घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तगण—1. **शाहरुख पुत्र इरशाद**, उम्र करीब **30 वर्ष**, 2. **राकिब पुत्र साबिर अली**, उम्र करीब **30 वर्ष**, 3. **शहवाज पुत्र मुनव्वर**, उम्र करीब **32 वर्ष**, सर्व निवासीगण मोहल्ला **लोधीपुर**, थाना **रोजा**, जनपद **शाहजहाँपुर** को दिनांक **06.01.2026** को **लोधीपुर पुल के पास सड़क किनारे** से समय करीब **14.20 बजे** गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के आधार पर **नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है।**

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. शाहरुख पुत्र इरशाद निवासी मोहल्ला लोधीपुर थाना रोजा शाहजहाँपुर उम्र करीब 30 वर्ष
2. राकिब पुत्र साबिर अली निवासी मोहल्ला लोधीपुर थाना रोजा शाहजहाँपुर उम्र 30 करीब वर्ष
3. शहवाज पुत्र मुनव्वर निवासी मोहल्ला लोधीपुर थाना रोजा शाहजहाँपुर उम्र करीब 32 वर्ष

पंजीकृत अभियोग:-

- मु0अ0सं0 09/26 धारा 109(1),115(2),191(2) बीएनएस थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी का स्थान व समय:-

- दि0 06.01.2026 समय 14.20 बजे , लोधीपुर पुल के पास सडक किनारे खड़े रास्ते पर।

आपराधिक इतिहास शाहरुख :-

- मु0अ0सं0 09/26 धारा 109(1),115(2),191(2) बीएनएस थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

आपराधिक इतिहास राकिब :-

1. मु0अ0सं0 09/26 धारा 109(1),115(2),191(2) बीएनएस थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर
2. मु0अ0सं0 380/19 धारा 307,323,504 भादवि थाना रोजा,शाहजहांपुर।
3. मु0अ0सं0 468/24 धारा 115(2), 308(2), 351(3), 352, 74 बीएनएस थाना रोजा शाहजहांपुर।

आपराधिक इतिहास शहबाज :-

- मु0अ0सं0 09/26 धारा 109(1),115(2),191(2) बीएनएस थाना रोजा, जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तार करने वाली थाना रोजा पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार थाना रोजा, शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री सतवीर सिंह थाना रोजा,शाहजहांपुर।
3. उ0नि0 श्री राजकुमार गौतम ,थाना रोजा,शाहजहांपुर।
4. हे0का0 693 विनोद कुमार ,थाना रोजा,शाहजहांपुर।
5. हे0का0 673 महकार सिंह,थाना रोजा,शाहजहांपुर।
6. का0 1782 सचिन कुमार ,थाना रोजा,शाहजहांपुर।